



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266403
CG-DL-E-25092025-266403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4231]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947

No. 4231]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

का.आ. 4349(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 का खंड 7—ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में कार्य निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए तालिका के कॉलम (4) में दिए गए उल्लिखित रेलवे परियोजना के संबंधित मामलों में सक्षम अधिकारी की भूमिका निभाने के लिए अधिकृत किया है।

अनुसूची

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, धुरी	पंजाब	"धुरी जंक्शन को बायपास करते हुए अलाल —हिमताना के बीच कॉर्ड लाइन"

[फा. सं. 190-W/Land/CDG1/Alal Himtana]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण,

MINISTRY OF RAILWAYS
[Northern Railways (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2025

S.O. 4349(E).—In exercise of the power conferred by clause 7-A of section 2 of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publications of this notification in the official Gazette.

TABLE

Sl.No.	Competent Authority	State	Name of railway Project
1	2	3	4
1	Sub Divisional Magistrate, Dhuri	Punjab	Chord Line between Alal-Himtana bypassing Dhuri Junction

[F. No. 190-W/Land/CDG1/Alal Himtana]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Construction

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

का.आ. 4350(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20—एफ (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उद्धृत अधिकारी को कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में कार्य निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए तालिका के कॉलम (4) में दिए गए उल्लिखित रेलवे परियोजना के संबंधित मामलों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए अधिकृत किया है।

अनुसूची

क्रम सं	मध्यस्थ अधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1	2	3	4
1	उपायुक्त, संगरूर	पंजाब	"धुरी जंक्शन को बायपास करते हुए अलाल —हिमताना के बीच कॉर्ड लाइन"

[फा. सं. 190-W/Land/CDG1/Alal Himtana]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण,

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2025

S.O. 4350(E).—In exercise of the power conferred by Section 20-F (6) of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to perform the functions of the Arbitrator in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Arbitrator	State	Name of Railway Project
1	2	3	4
1	Deputy Commissioner, Sangrur	Punjab	Chord Line between Alal-Himtana bypassing Dhuri Junction

[F. No. 190-W/Land/CDG1/Alal Himtana]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Construction